न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–144/2015–16 अन्तर्गत धारा–333 जं0वि0अधि0

बिरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 मीरसिंह, निवासी–ग्राम बहावपुर छांगा मजरी, परगना व तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार।

बनाम

1– बीरबल सिंह, 2. पारसराम पुत्रगण स्व0 मीरसिंह, निवासीगण– ग्राम बहावपुर छांगा मजरी, परगना व तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार, 3. ग्राम सभा बहावपुर छांगा मजरी, परगना व तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार।

उपस्थित	:	श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।
अधिवक्ता निगरानीकर्ता	:	श्री पी0के0 गर्ग।
अधिवक्ता प्रतिपक्षी सं0–1	:	श्री बी0डी0 आर्या एवं ओ0पी0 शुक्ला।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त ने विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, भगवानपुर, जनपद हरिद्वार द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या–10/2015–16 बीरबल बनाम बिरेन्द्र आदि अन्तर्गत धारा–176 जं0वि0अधि0 में पारित प्रारम्भिक आज्ञप्ति दिनांक 25–01–2016 के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की गई है, कि निगरानीकर्ता/प्रतिवादी को आलोच्य वाद में सुनवाई का अवसर नही प्रदान किया गया क्योंकि उसे सम्मन अथवा सूचना नही भेजी गई एवं प्रकाशन द्वारा तामील ऐसे समाचार पत्र से करवायी गई जो जनसामान्य में लोकप्रिय नही है अर्थात् उसे क्षेत्र में अधिक व्यक्तियों द्वारा नही पढ़ा जाता है।

इस निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः–

उत्तरदाता संख्या–1/वादी द्वारा एक विभाजन का वाद सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, भगवानपुर, जनपद हरिद्वार के समक्ष भूमि खाता संख्या–185 खसरा नं0–24 क्षेत्रफल 0.5961 हे0 स्थित ग्राम भगवानपुर जदीद मुस्तहकम, परगना भगवानपुर, जिला हरिद्वार के विभाजन हेतु दिनांक 07–09–2015 को प्रस्तुत किया गया। निगरानीकर्ता अन्य 2 प्रतिवादीगण के साथ वाद में पक्षकार था। प्रतिवादीगण के वाद की कार्यवाही में उपस्थित न होने के दृष्टिगत उन्हें एक समाचार पत्र "शाह टाईम्स" के माध्यम से समन की

तामीली करायी गई तथापि उनके द्वारा वाद की कार्यवाही में प्रतिभाग नही किया गया। अन्ततः एकपक्षीय रूप से कार्यवाही कर एवं आक्षेपित आदेश दिनांक 25-01-2016 से विभाजन के बाद में प्रारम्भिक डिक्री पारित कर सभी सह खातेदारों के अंश निर्धारित कर दिये गये। इसी आदेश के विरूद्ध वर्तमान निगरानी निदेशित है।

मैंने निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावलियों का भली भांति अवलोकन किया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क यह है कि उसे आलोच्य वाद में समन तालीम नही किया गया एवं जिस समाचार पत्र के द्वारा समन तामील दर्शाया जा रहा है उसका प्रचालन (circulation) क्षेत्र विशेष में नही है जिससे समन तामील होने के उपधारणा नही होती है एवं कि आलोच्य वाद में समन तालीम न होने के दृष्टिगत निगरानीकर्ता/प्रतिवादी को वाद की कोई सूचना न होने के दृष्टिगत वह सुनवाई के अधिकार से वंचित हो गया एवं कि वह वादग्रस्त भूमि का विधिक रूप से सहखातेदार है इस प्रकार आक्षेपित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के पालन किये बिना पारित है।

वादी/उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानीकर्ता/प्रतिवादी को आलोच्य वाद में सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने हेतु अपनी सहमति दी है।

निगरानीकर्ता/प्रतिवादी अन्य सहखातेदारों के साथ वादग्रस्त भूमि का सहखातेदार है। वह मूल वाद में प्रतिवादी है। तद्नुसार उसे आलोच्य वाद में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार प्राप्त है। यद्यपि आलोच्य वाद में समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से समन तामील कराया गया है परन्तु निगरानी पत्र एवं निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का स्पष्ट तर्क है कि समाचार पत्र " शाह टाईम्स" जिसमें समन का प्रकाशन कराया गया है का प्रचालन (circulation) क्षेत्र विशेष में नही है जिससे वाद की जानकारी नही हो पायी जिसका कोई खण्डन नही किया गया है तकनीकी रूप से तामील पर्याप्त माने जाने की दशा में भी निगरानीकर्ता/प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में अनिवार्य है जिससे वादी/उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता भी सहमत है। अतः निगरानी स्वीकार कर मूल वाद में पारित आक्षेपित आदेश अपास्त कर वाद पुनः परीक्षण हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांक 25-01-2016 व 22-01-2016 अपास्त किये जाते है एवं मूल वाद पुनर्स्थापित कर इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि निगरानीकर्ता/प्रतिवादी को सुनवाई एवं साक्ष्य का सम्यक अवसर प्रदान कर वाद की कार्यवाही यथाशीघ्र विधिवत पुनः सम्पादित की जाए। पक्षकार दिनांक 22-05-2017 को अवर

न्यायालय में उपस्थित हो। इस न्यायालय की पत्रावली संचित तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापस की जाएं।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक **24–04–2017** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)